

सकारा गांव, तखतपुर तहसील, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य में
प्रस्तावित 0.99एमटीपीए की कोल वाशरी
के लिए

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

कार्यपालक सार

परियोजना प्रस्तावक



मेसर्स इनस्पैर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
बिलासपुर , छत्तीसगढ़

पर्यावरणीय परामर्शदाता



विमता लैब्स लिमिटेड

142, आईडीए फेज-II, चेरलापल्ली
हैदराबाद-500051, तेलंगाना राज्य

www.vimta.com, env@vimta.com

सितंबर 2019



1.0 कार्यपालक सार

1.1 प्रस्तावना

मेसर्स इनस्पैर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का सकार्ग गांव तखतपुर तहसील, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य में 0.99 एमटीपीए क्षमता की कोल वाशरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत लगभग रु.22 करोड़ है।

2.0 परियोजना का औचित्य

बेनिफिशिएटेड नॉन-कोकिंग काल की संभावित अपेक्षा/ आवश्यकता एवं वर्तमान कुल क्षमता में मौजूदा स्थिति में बहुत अंतराल से स्पष्ट उल्लेख होता है कि निजी क्षेत्र में नॉन-कोकिंग कोल के बेनिफिशिएशन के लिए इसकी क्षमता की वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा, वाशरीज को 100% क्षमता के साथ प्रचालन करने के लिए निरंतर साध्यता संभव नहीं है। इसलिए पश्चाती चरण में 40-50मे.ट. अतिरिक्त क्षमता के लिए प्रावधान करने पर विचार किया जाना चाहिए।

3.0 पर्यावरणीय व्यवस्था

अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित कोल वाशरी प्लांट की 10कि.मी. की त्रिज्या शामिल है। प्रस्तावित संयंत्र स्थल की पर्यावरणीय व्यवस्था नीचे दी गई है :

- परियोजना क्षेत्र की भूगोलिक सीमाएं अक्षांश 22°02'22.60" उ. से 22°02'42.33" उ एवं देशांतर 82°02'11.90" पू. से 82°02'25.97" पू. के बीच हैं।
- पानी के स्रोत : घोंघा नदी - 2.0कि.मी., उ.पू., काप्रा बांध - 2.5कि.मी., उ., मनियारी नदी - 6.3कि.मी., द.प. अगार नदी -9.3कि.मी., प.द.प.
- प्रस्तावित परियोजना स्थल पूरी तरह सपाट/समतल भूमि है।
- निकटतम हवाईअड्डा रायपुर है, जो परियोजना स्थल से 98कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग - 130 एवं 130ए परियोजना स्थल से लगभग 6.0 एवं 8.0 कि.मी. की दूरी पर है।



सकार्ग गांव, तखतपुर तहसील, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रस्तावित 0.99 एमटीपीए की कोल वाशरी के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

कार्यपालक सार

- परियोजना स्थल से 10कि.मी. की त्रिज्या में कोई वन एवं पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र नहीं है।
- अध्ययन क्षेत्र में कोई वन्यप्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल रिजर्व, कोई संवेदनशील प्रजातियों के प्रवासीय कॉरिडॉर नहीं है।

3.1 परियोजना विवरण

प्रस्तावित कोल वाशरी के महत्वपूर्ण लक्षण नीचे सारणी-1 में दिए गए हैं :-

सारणी-1 प्रस्तावित कोल वाशरी प्लांट के महत्वपूर्ण लक्षण

क्रमांक	प्राचल	विवरण
1	क्षमता/वार्षिक उत्पन्नता	200टीपीएच
2	वाशिंग प्रौद्योगिकी	हेवी मीडिया साइक्लोन प्रौद्योगिकी
3	प्रक्रिया दर	1 X 200 टीपीएच
4	प्रक्रिया	वेट प्रॉसेस जिसके अंतर्गत क्रशिंग, स्क्रीनिंग, वाशिंग एवं हैंडलिंग होंगे
5	कोयले के स्रोत	एसईसीएल के दीपका गेवरा एवं कुसमुंडा
6	कोयला राख तत्व	
	a इनपुट कच्ची कोयला	39%
	b उत्पन्नता (वाशड कोयला)	34%
	c रिजेक्ट्स	60%
7	भूमि आवश्यकता	19.49एकड़
8	पानी की आवश्यकता एवं स्रोत	250 केएलडी, जिसकी पूर्ति बोरवेल्स से की जाएगी
9	पानी का उपचार	
	a) अपशिष्ट पानी का निर्माण एवं अपशिष्ट पानी का उपचार	उत्पन्न अपशिष्ट पानी का उपचारित किया जाएगा और उपचारित पानी का उपयोग प्रॉसेस एवं धूल नियंत्रण आदि कार्यों में किया जाएगा।
10	a बिजली की आवश्यकता	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड से 820 केवीए 33 एलवीए सब-स्टेशन
	b स्रोत	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड
11	कोयले का परिवहन	एसईसीएल खानों से कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाएगा। सड़क मार्ग से कोयले का परिवहन बंद/ढके हुए ट्रकों के जरिए



सकारा गांव, तखतपुर तहसील, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रस्तावित
0.99 एमटीपीए की कोल वाशरी के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
कार्यपालक सार

क्रमांक	प्राचल	विवरण
		किया जाएगा।
12	मेनपॉवर की आवश्यकता	निर्माण चरण - 40-50 व्यक्ति प्रचालन चरण - 50 व्यक्ति
13	प्रचालन घंटे	5.5 घंटे प्रत्येक की तीन पाली (एक दिन में 16.5 घंटे प्रभावी) साल में 330दिन
14	परियोजना लागत	रु.22 करोड़

3.2 आधारस्तर पर्यावरणीय स्थिति :

शीत ऋतु एवं आंशिक पूर्व-मानसून ऋतु को प्रतिनिधित्व करने वाली तीन महीने की अवधि (15दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019)को सम्मिलित करते हुए आधारस्तर डाटा का अनुवीक्षण अध्ययन किया गया है।

3.2.1 भूमि उपयोग

दिनांक 19 जनवरी, 2018 एलआईएसएस-IV एफएग्स उपग्रह काल्पनिक के आईआरएस-आर2 जिओ-कोडेड एफसीसी प्राप्त किया गया है और इसे मैपिंग एवं विश्लेषण के लिए उपयोग किया गया है। कुल निर्मित क्षेत्र भूमि आवासों की 5.8% है और औद्योगिक/संस्थागत भूमि 1.1% है। कृषि भूमि सिंचित/द्विफसल क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का 34.2% है, भूमि का 203.5% कृषि भूमि/एकल फसल क्षेत्र है और 0.628% पौधारोपण भूमि क्षेत्र है। अध्ययन क्षेत्र में झाड़ियों सहित अनुपयोगी भूमि कुल भूमि का 20.1% है, बिना झाड़ियों की भूमि 9.7% है , भूमि का 0.6% पथरीली खान क्षेत्र है एवं 1.1% भूमि खनन के लिए योग्य भूमि है। कुल पानी स्रोत भूमि टंकी/नदी श्रेणी का 20.1% है।

3.2.2 मौसम विज्ञान

अधिकतम तापमान मार्च 2019 के दौरान 37.50⁰सें. और न्यूनतम तापमान दिसंबर 2018 के दौरान 22.20⁰से. के रेंज में पाया गया और सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम जनवरी 2019 माह के दौरान 68% और न्यूनतम मार्च 2019 के दौरान 34% के रेंज में पाया गया है। प्रबल वायु/हवा की गति



अधिकांश उत्तर दिशा(14.5%) से है , उसके बाद पश्चिम दिशा (12.9%) से है ।

3.2.3 परिवेशी वायु गुणवत्ता

परिवेशी वायु गुणवत्ता अनुवीक्षण(एएक्यूएम) दस स्थानों पर तीन महीनों के लिए सप्ताह में दो दिन की बारंबारिता से किया गया है। न्यूनतम और अधिकतम पीएम₁₀, पीएम_{2.5}, एसओ₂, एनओ_x, एवं सीओ मूल्य नीचे दिए गए **सारणी-2** में दिए गए हैं। प्राप्त परिणाम उल्लेख करते हैं कि परिवेशी वायु में पीएम₁₀, पीएम_{2.5}, एसओ₂, एनओ_x, एवं सीओ की सांद्रताएं आवासीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता(एनएएक्यू) के मानकों के अंदर ही है।

सारणी-2 परिवेशी वायु गुणवत्ता स्तर

ऋतु / प्राचल	पीएम ₁₀	पीएम _{2.5}	एसओ ₂	एनओ _x	सीओ
शीत एवं आंशिक पूर्व-मानसून 2018-19	24.6-52.6	14.8-34.6	8.4-19.6	11.6-25.8	156-456
एनएएक्यूएस 2009	100	60	80	80	2000

सभी मूल्य $\mu\text{g}/\text{m}^3$ में दिए गए हैं।

3.2.4 पानी की गुणवत्ता

क्षेत्र में पानी के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आकलन के लिए अध्ययन क्षेत्र के अंदर दस भूमिगत पानी के नमूनों एवं तीन सतही पानी के नमूने संग्रहित की गई हैं और परियोजना स्थल के आसपास में विभिन्न पानी के स्रोतों से इनका विश्लेषण किया गया।

• भूमिगत पानी

पीएच एवं कंडक्टिविटी क्रमशः 6.19 से 7.96 एवं 549 से 1919 माइक्रोसीमेन्स प्रति सेंटीमीटर के रेंज में हैं। कुल द्रवीभूत ठोस 306.7 से 1069.0 मि.ग्रा/ली. के रेंज में है। क्लोराइड की सांद्रताएं 120.53 - 392.5 मि.ग्रा/ली. के बीच के रेंज में है जबकि निर्धारित सीमा 250-1000 मि.ग्रा/ली. है। सभी स्थानों पर सल्फेट्स की सांद्रताएं 21.



सकार्ग गांव, तखतपुर तहसील, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रस्तावित
0.99 एमटीपीए की कोल वाशरी के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

कार्यपालक सार

6-64.2 मि.ग्रा/ली. के रेंज में है जबकि निर्धारित सीमा 200-400 मि. ग्रा/ली. है। कुल गाढ़ापन जो सीएसीओ₃ अर्थात् कैल्शियम कार्बोनेट और क्षारीयता में व्यक्त किया जाता है, 155.10 - 421.07 मि.ग्रा/ली. के रेंज में है। नाइट्रेट्स एवं फ्लूराइड्स क्रमशः 7.8 - 24.5 मि.ग्रा/ली. एवं 0.4-0.9 मि.ग्रा/ली. के रेंज में पाए गए।

भारी धातु तत्व निर्धारित सीमा के अंदर ही है। भौतिकी-रासायनिकी एवं जैवविज्ञान विश्लेषण उल्लेख करते हैं कि अधिकांश प्राचल आईएस:10500 की निर्धारित सीमाओं के अंदर ही है।

• सतही पानी की गुणवत्ता

पीएच एवं कंडक्टिविटी क्रमशः 6.63 - 7.04. एवं 106.7 - 631 माइक्रोसीमेन्स प्रति सेंटीमीटर के रेंज में हैं। कुल द्रवीभूत ठोस 61.9 - 335.7 मि.ग्रा/ली. के रेंज में है। कुल गाढ़ापन जो सीएसीओ₃ अर्थात् कैल्शियम कार्बोनेट और क्षारीयता में व्यक्त किया जाता है, 34.28 - 185.89 मि.ग्रा/ली. के रेंज में है। सल्फेट्स 5.2 - 21.6 मि.ग्रा/ली. के रेंज में पाए गए हैं, एवं कुल गाढ़ापन जो सीएसीओ₃ अर्थात् कैल्शियम कार्बोनेट और क्षारीयता में व्यक्त किया जाता है, 155.10 - 421.07 मि.ग्रा/ली. के रेंज में है। नाइट्रेट्स 0.20 - 8.20 मि.ग्रा/ली. के रेंज में पाए गए। फ्लूराइड्स 0.4-0.5 मि.ग्रा/ली. के रेंज में पाए गए।

भारी धातु तत्व निर्धारित सीमा के अंदर ही है। भौतिकी-रासायनिकी एवं जैवविज्ञान विश्लेषण उल्लेख करते हैं कि सभी प्राचल आईएस : 10500 की निर्धारित सीमाओं के अंदर ही है।

3.2.5 मृदा की गुणवत्ता

क्षेत्र की वर्तमान मृदा की गुणवत्ता के आकलन करने के लिए प्रस्तावित कोल वाशरी के आसपास में आठ मृदा के नमूने एकत्रित किए गए। मृदा की पीएच(5.22 से 8.42) मूल्य से उल्लेख होता है कि वह अपनी प्रकृति में 'साधारण आम्लीय' से 'साधारण क्षारीय' है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 86.5 से 326.5 माइक्रोसीमेन्स प्रति सेंटीमीटर के रेंज में है। अध्ययन क्षेत्र में जैविक कार्बन तत्व 0.28 % से 1.02% के रेंज में है, अर्थात् मृदा 'कम' से 'पर्याप्त श्रेणी' के अंतर्गत है। उपलब्ध पोटाशियम 195.2 कि.ग्रा/हे. से 342.5 कि.ग्रा/हे. के बीच पाया गया है जिससे उल्लेख होता है कि मिट्टी 'मध्यम' से 'उत्तम' श्रेणी के अंतर्गत है। अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध



सकारा गांव, तखतपुर तहसील, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रस्तावित
0.99 एमटीपीए की कोल वाशरी के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

कार्यपालक सार

नाइट्रोजन 58.6 कि.ग्रा/हे. से 152.4 कि.ग्रा/हे. के रेंज में पाया गया है। इस मूल्य के आधार पर अध्ययन क्षेत्र में मृदा नाइट्रोजन की श्रेणी में 'कम' से 'उत्तम' श्रेणी मात्रा में है। अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध फास्फोरस 59.6 कि.ग्रा/हे. से 182.5 कि.ग्रा/हे. के रेंज में पाया गया है और परिणाम दर्शाते हैं कि मृदा 'औसत पर्याप्त' से 'पर्याप्त से अधिक' श्रेणी में है।

3.2.6 ध्वनि स्तर

परियोजना स्थल के आसपास में दस स्थानों पर परिवेशी ध्वनि स्तरों का मापन किया गया है :

अ) दिन के समय ध्वनि स्तर (L_{day})

सभी स्थानों में दिन के समय ध्वनि स्तर (L_{day}) 39.9 डीबी(ए) से 58.1 डीबी(ए) तक के रेंज में है। पाया गया है कि दिन के समय ध्वनि स्तर आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित सीमा 55 डीबी(ए) के अंदर ही है।

ब) रात के समय ध्वनि स्तर (L_{night})

सभी स्थानों पर रात के समय रात के ध्वनि स्तर (L_{night}) 37.0 डीबी(ए) से 51.1 डीबी(ए) तक के रेंज में है। पाया गया है कि रात के समय ध्वनि स्तर आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित सीमा 45 डीबी(ए) के अंदर ही है।

3.2.7 पारिस्थितिकी पर्यावरण

प्राथमिक सवेक्षण एवं वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार पाया गया है कि अध्ययन क्षेत्र में कोई अभयारण्य, कोई राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल रिजर्व नहीं है।

अध्ययन क्षेत्र में कोई संकटग्रस्त पेड़पौधे व जीवजंतु नहीं है। वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में अनुसूची-II, III, IV एवं V, से संबंधित स्तनधारी, पक्षी, रेंगनेवाली तथा कीट प्राणी आदि की मौजूदगी है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकार्डों के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कोई संकटग्रस्त व खतरायुक्त पेड़पौधे नहीं है।



3.2.8 सामाजिक पर्यावरण

2011 जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में 216242 आबादी निवासरत है। अध्ययन क्षेत्र में पुरुष आबादी और महिला आबादी के तुलना पर पाया गया है कि कुल पुरुष आबादी लगभग 51.21% और कुल महिला आबादी लगभग 48.79% है। अध्ययन क्षेत्र की आबादी में 23.10% अनुसूचित जाति (एससी) एवं 20.80% अनुसूचित जनजाति (एसटी) है। अध्ययन क्षेत्र की डाटा से प्रकट होता है कि 2011 जनगणना के अनुसार 84.38% साक्षरता दर है। अध्ययन क्षेत्र में कुल कार्य प्रतिभागिता 41.4% है और गैर-श्रमिक कुल आबादी में 58.96% है।

3.3 प्रत्याशित पर्यावरणीय प्रभाव और निवारण उपाय

3.3.1 स्थलाकृति

कोल वाशरी यूनिट के लिए प्रस्तावित स्थल एकदम सपाट है। संयंत्र के निर्माण के दौरान न्यूनतम लेवलिंग कार्य की आवश्यकता होगी। इससे क्षेत्र में कोई गणनीय स्थलाकृतिक परिवर्तन नहीं होंगे। इसी प्रकार, क्षेत्र में कोई लघु या बृहद मौसमीय परिवर्तन नहीं होंगे क्योंकि क्षेत्र में कोई थर्मल असंतुलन नहीं होगा। अंततः यह कहा जा सकता है कि कोल वाशरी एकक के प्रचालन से क्षेत्र की स्थलाकृति एवं मौसमीय स्थिति में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होंगे।

3.3.2 वायु पर्यावरण

प्रस्तावित कोल वाशरी यूनिट से निकलने वाले मुख्य उत्सर्जन विविक्त कण/ धूल के कण होंगे। कोयले के परिवहन, कोयले को उतारते समय, संवाहन के समय एवं कोयले के भंडारण के दौरान भगोड़े उत्सर्जन / उड़ने वाले धूल उत्सर्जन हो सकते हैं। एसईसीएल खानों से आरओएम कोयले का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाएगा। सड़क मार्ग से कोयले का परिवहन बंद ट्रकों के माध्यम से किया जाएगा। बिंदु स्रोत उत्सर्जन, धूल उड़ने वाले / क्षेत्र स्रोत उत्सर्जन एवं लाइन स्रोत उत्सर्जन आदि पर ध्यान देते हुए वायु प्रदूषण मॉडलिंग किया गया है। अधिकतम वृद्धिगत पीएम₁₀, पीएम_{2.5} की सांद्रताएं क्रमशः 27.1 माइक्रोग्राम/घन मीटर एवं 8.1 माइक्रोग्राम/घन मीटर आकलित किया गया है। पीएम₁₀ की परिणामी सांद्रताएं बाद में औद्योगिक / ग्रामीण /



सकारा गांव, तखतपुर तहसील, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रस्तावित
0.99 एमटीपीए की कोल वाशरी के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

कार्यपालक सार

आवासीय एवं अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित एनएएक्यू मानकों के अंदर ही होंगे।

पर्यावरणीय संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के साथ परियोजना से स्थानीय या क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता पर या मानवीय स्वास्थ्य या वानस्पतिक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

3.3.3 पानी पर्यावरण

घरेलू उपयोग सहित प्रस्तावित संयंत्र के लिए अपेक्षित पानी की मात्रा 250केएलडी होगी जिसकी पूर्ति बोरेवेल पानी से की जाएगी। कोल वाशरी यूनिट में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रॉसेस के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट पानी का 100 प्रतिशत कोल वाशिंग सर्किट में पुनःउपयोग किया जाएगा।

संयंत्र से निकलने वाले घरेलू अपशिष्ट पानी को सेप्टिक टंकी / सोक गर्त में उपचारित किया जाएगा। शून्य डिसचार्ज स्थिति को बनाया रखा जाएगा क्योंकि संयंत्र परिसर से बाहर कोई पानी का डिसचार्ज नहीं किया जाएगा।

3.3.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं भूमि उपयोग

प्रस्तावित कोल वाशरी प्लांट से लगभग 40टीपीएच रिजेक्ट्स उत्पन्न होंगे जिन्हें संभाव्य खरीददारों को बेचा जाएगा। रिजेक्ट्स को क्षेत्र में मौजूद ईट चिमनियों के उत्पादकों को आपूर्त करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

विभिन्न सेप्टिक टंकियों /सोख गर्तों से कीचड़ व अवपंक के रूप में ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उक्त अपशिष्ट का उपयोग ग्रीनबेल्ट के विकास के लिए खाद के रूप में किया जाएगा।

कोल रिजेक्ट्स का परिवहन ढके हुए ट्रकों से किया जाएगा। अतः पर्यावरणीय प्रबंध योजना के समुचित ढंग से लागू किए जाने पर कोई गणनीय प्रभाव संभावित नहीं होंगे।

खर्च किए गए तेल एवं लुब्रिकैंट्स आदि का लीक पुफ इमों में संग्रहीत कर बाद में इन्हें निर्धारित क्षेत्र में ढेर किया जाएगा जिसे प्राधिकृत वेंडर्स / खरीददारों को बेचा जाएगा।



3.3.5 ध्वनि पर्यावरण

अधिकतम ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं -- स्क्रीन्स, क्रशर्स, ब्लोयर्स एवं ड्रैयर्स । इन ध्वनि स्रोतों से ध्वनि स्तर कभी निरंतर या बीच-बीच में उत्पन्न होंगे। ऐसे उच्च ध्वनि स्रोतों के समीप कार्यरत कर्मचारियों को इयरप्लग्स / इयर मफ़्ज प्रदान किए जाएंगे।

संयंत्र परिसीमा पर और साथ-साथ सभी आसपास के मकानों / आवासों में वृद्धिगत ध्वनि स्तर लगभग 30 डीबी(ए) से 38 डीबी(ए) के बीच होंगे। अनुरूपण परिणामों में पाया गया है कि वृद्धिगत ध्वनि स्तर कारखाना/प्रस्तावित संयंत्र परिसर तक ही प्रतिबंधित होंगे और सीपीसीबी मानकों का उल्लंघन नहीं करेंगे। अतः मानवीय आवासों तथा आसपास के पर्यावरण पर ध्वनि का प्रभाव नगण्य होने की संभावना है।

3.3.6 पेडपौधे एवं जीवजंतु तथा ग्रीनबेल्ट का विकास

वर्तमान पेडपौधे व वानस्पतिक की स्थिति का आकलन करने और जैविक संसाधनों के रिकार्ड करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में एक पारिस्थितिकी सर्वेक्षण किया गया है।

क्षेत्र में कोई खतरायुक्त या स्थानिक मारी पौध प्रजातियां रिकार्ड नहीं की गई हैं। बफर जोन में जीवजंतु क्षेत्र की विशेष श्रेणी है। वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अनुसार क्षेत्र में कुछ अनुसूची I प्रजातियां (मोर, भालू, चीता एवं हाथी) रिपोर्ट की गई हैं।

प्रस्तावित कोल वाशरी एकक का क्षेत्र लगभग 19.49 एकड़ है। प्रस्तावित पौधारोपण लगभग 3.50 हे. (उदा : 44.3%) के क्षेत्र में होगा। वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव एवं संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

3.3.7 सामाजिक-आर्थिकी

वाशरी के निर्माण चरण एवं प्रचालन चरण के दौरान क्षेत्र को प्राप्त होने वाले प्रमुख आर्थिक लाभों जैसे प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के बाद स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे जैसे छोटे-मोटे ठेका कार्य एवं संबद्ध व्यापार संस्थापनाओं के माध्यम से। आईआईपीएल द्वारा समीपवर्ती गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं स्वच्छता प्रबंधन, सामुदायिक आधारभूत संरचना विकास, खेलकूद एवं महिला सशक्तिकरण आदि के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।



इसी प्रकार, सालाना निवल लाभ का 2% या रु.10लाख की राशि जो भी अधिक हो, को विभिन्न कल्याण एवं सामुदायिक विकास गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, रोजगार एवं क्षेत्र के सामुदायिक आधारभूत संरचना विकास के कार्यों में निवेश करने का प्रस्ताव है।

3.3.8 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा अनुवीक्षण योजना

सभी संभाव्य व्यावसायिक खतरायुक्त कार्य क्षेत्रों जैसे ईंधन भंडारण क्षेत्र, कोयला निपटारा क्षेत्र आदि का नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जाएगा। उत्पादकता और अच्छे नियोजक-कर्मचारी संबंधों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व हैं --भगोड़े /उड़ने वाले धूल एवं ध्वनि स्तर। प्रचालन, अनुरक्षण एवं कोयले का निपटान के दौरान कर्मचारी की सुरक्षा पर कंपनी की नियमावली के अनुसार विशेष ध्यान दिया जाएगा। कर्मचारियों को वैयक्तिक सुरक्षा उपकरण जैसे डस्ट मास्क, इयर प्लग्स / इयर मफ़्ज आदि प्रदान किए जाएंगे। अतः कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर कोई गणनीय प्रभाव प्रत्याशित नहीं है।

3.4 निष्कर्ष

समुचित निवारणोपाय एवं पर्यावरणीय प्रबंध तकनीकों एवं ईआईए/ईएमपी में सुझावित उपाय तथा एमओईएफ&सीसी, एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई सुझावों के प्रभावात्मक कार्यान्वयन के साथ प्रस्तावित परियोजना का स्थानीय पर्यावरण पर प्रभाव सीमित होंगे। प्रतिकूल प्रभावों को यथासंभव बहुत कुछ हद तक कम किया जाएगा। तथापि, इस परियोजना के विकास से क्षेत्रीय अर्थ व्यवस्था में विकास, प्रबल रूप में सिंचाई क्षेत्रों का गणनीय औद्योगिक विकास क्षेत्र में परिवर्तन, सरकारी अर्जनों व राजस्व में वृद्धि तथा क्षेत्र में औद्योगिक विकास की गति में प्रगति आदि के रूप में बहुत लाभदायक प्रभाव होंगे।

प्रस्तावित परियोजना से बहुत संख्या में लोगों को सीधे रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस परियोजना से अनेक परिवारों को परोक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जो परियोजना के कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगे।

परियोजना के कारण क्षेत्र में सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे न केवल रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी अपितु क्षेत्र की आर्थिक बुनियादी और मजबूत होगी।



सकार्का गांव, तखतपुर तहसील, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रस्तावित
0.99 एमटीपीए की कोल वाशरी के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

कार्यपालक सार

कम ग्रेड के गैर-राख तत्व वाले कोयले का बेनिफिशिएशन आर्थिक एवं पर्यावरण दृष्ट्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः परियोजना से होने वाले गणनीय लाभों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र के साथ-साथ राष्ट्र के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी।

